



बिहार सरकार



कार्यालय नगर पंचायत अलौली

स्वच्छता साथी के चयन हेतु विज्ञापन

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक- 4081, दिनांक- 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी चयन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

स्वच्छता साथी कौन होंगे:-

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप Waste picker, Citizen Leader, SHG Member, Swachhagrahi, Sanitation worker, Brand Ambassadors, NULM, Asha, Anganwadi Worker, NGOs, Youth Community Based Organization, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
7. नगर पंचायत स्तर पर कुल संख्या- 05 स्वच्छता साथी।

चयन प्रक्रिया:-

1. प्राप्त हुए आवेदन की Selection Criteria के आधार पर जाँच एवं मिलान कर अभ्यर्थियों का One-To-One Interview किया जायेगा।
2. आवेदन करने की अंतिम तिथि- 05.02.2025
3. आवेदन फॉर्म नगर पंचायत अलौली, कार्यालय से प्राप्त करें।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ:-

1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख तक देय होगा।
5. मानदेय रु0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20=6000.00 रु0 मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधि अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा, जो वर्ष के किसी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छता साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देखेंगे।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।
12. इस विज्ञापन के शर्तों को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्णतः संशोधित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोट:-

1. आवेदन प्रपत्र संबंधित अनुलग्नक सहित बंद लिफाफे में दिनांक- 05.02.2025 तक नगर पंचायत अलौली कार्यालय में समय 05:00 बजे संध्या तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समय के बाद किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।
3. अधिक जानकारी के लिए नगर पंचायत अलौली, कार्यालय में कार्यालय अवधि में आ कर सम्पर्क करें।
4. आवेदन पत्रों के जाँचोपरान्त दिनांक- 08.02.2025 को नगर पंचायत अलौली के सूचनापट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा, तत्पश्चात उक्त तिथि को ही साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी जाएगी।
5. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 नगरपालिका के साथ किसी (संविदा आदि) आर्थिक हित रखने वाला पार्षद या उसके परिवार के किसी सदस्य के संबंध में मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद/पार्षद से (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) का संबंध नहीं हों।
6. साक्षात्कार में अभ्यर्थी सभी मूल प्रमाण पत्र (शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अभ्यर्थी जिसका दावा करते हों) के साथ उपस्थित रहेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, अलौली।